न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 15/548

बीरमा आत्मज श्री रामा जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. कजोड आत्मज नाथू जी जाति चमार निवासी ग्राम अरलाई तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी, जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर मिन 507 रकबा 10 बीघा पुराने जिसके नये खसरा नम्बर 660 व 661 रकबा 1.62 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थी कम 1 इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पातिर की जावे कि वह दौराने वाद अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजी खसरा नम्बर मिन 507 रकबा 10 बीघा पुराने जिसके नये खसरा नम्बर 660 व 661 रकबा 1.62 हैक्टर को प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और न ही उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.10.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट की आयु 18 वर्ष की हुई थी तब प्रार्थी अपीलान्ट के पिता श्री रामा ने कस्तूरीबाई विधवा पत्नी नाथू जी जाति चमार निवासी लाडपुर से नाता विवाह कर लिया था और प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 की आयु 02 वर्ष उसकी माता कस्तूरी बाई के साथ बतौर गैलड आया था । रामाजी के कस्तूरी बाई से कोई संतान नहीं हुई । इस प्रकार अप्रार्थी कम 1 रामाजी की संतान एवं उत्तराधिकारी नहीं है । अप्रार्थी कम 1 के माता पिता कस्तूरी बाई एवं नाथू जी थे । प्रार्थी अपीलान्ट के पिता श्री रामाजी की मृत्यु के बाद उनका फौती नामान्तरकरण मृतक रामा जी का एक मात्र उत्तराधिकारी एवं पु. होने से अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किया जाना चाहिए । रामा जी का फौती नामान्तरकरण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उसे सुनवाई का मौका दिये बिना ही कानून के विपरीत अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में प्रार्थी के साथ–साथ तस्दीक कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । प्रार्थी अपीलान्ट रामा जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी काबिज काश्त है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट अवैध एंव त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान कर दिया तो प्रार्थी अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2015 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है और एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अपीलान्ट एवं अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 के सहखातेदारी में दर्ज है । प्रार्थी अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 बेचान, रहन या किसी अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थी अपीलान्ट का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा ऐसी स्थिति में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे – हम अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत है क्योंकि यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने खुर्द–बुर्द,

रहन, बेचान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2015 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह दौराने वाद उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण या खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

10. निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा